

इसे वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 228]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 अगस्त 2024—श्रावण 18, शक 1946

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 9 अगस्त 2024

क्र. 12154-150-इक्कीस-अ(प्रा).- मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 6 अगस्त 2024 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
भरत कुमार व्यास, अतिरिक्त सचिव.

### मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक 90 सन् २०२४

### मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन अधिनियम, २०२४

[ दिनांक 6 अगस्त, 2024 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 9 अगस्त, 2024 को प्रथमबार प्रकाशित की गई. ]

मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९७२ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन अधिनियम, २०२४ है.

संक्षिप्त नाम तथा  
प्रारंभ.

(२) यह १ जुलाई, २०२४ से प्रवृत्त होगा.

२. मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २५ सन् १९७२) की धारा ६-क का लोप किया जाए. धारा ६-क का लोप.

भोपाल, दिनांक 9 अगस्त 2024

क्र. 12154-150-इक्कीस-अ(प्रा.)- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन अधिनियम, 2024 (क्रमांक 10 सन् 2024) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
भरत कुमार व्यास, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT  
No. 10 OF 2024

**THE MADHYA PRADESH MANTRI (VETAN TATHA BHATTA) SANSHODHAN  
ADHINIYAM, 2024**

[ Received the assent of the Governor on the 6<sup>th</sup> August, 2024; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 9<sup>th</sup> August, 2024.]

**An Act further to amend the Madhya Pradesh Mantri (Vetan Tatha Bhatta) Adhinyam, 1972.**

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventy-fifth year of the Republic of India as follows :—

**Short title and  
commencement.**

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Mantri (Vetan Tatha Bhatta) Sanshodhan Adhinyam, 2024.

(2) It shall come into force from 1<sup>st</sup> July, 2024.

**Deletion of  
Section 9-A.**

2. Section 9-A of the Madhya Pradesh Mantri (Vetan Tatha Bhatta) Adhinyam, 1972 (No. 25 of 1972) shall be deleted.